न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मंयक मनीष आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :— 77 / 2019

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. भबूतराम पुत्र चौथाराम 2. छोगाराम पुत्र चौथाराम 3. हाउराम उर्फ हवड़ा पुत्र चौथाराम 4. स्व. हरलाल पुत्र चौथाराम के कायम मुकाम :— 1. बलदेवराम 2. अर्जुनराम 3. बलवन्तराम पिसरान स्व. हरलाल सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण बेरू, तहसील व जिला जोधपुर।		1. शान्ती पुत्री मलाराम चोटीया, जाति विश्नोई, निवासी ढढीढाणी, जोलीयाली, तहसील जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक 30/01/2020

उपस्थिति :— वादी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार, प्रेम कुमार विश्नोई
प्रतिवादी अधिवक्ता ....

वादी ने एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :— गांव बेरू, तहसील जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नं. 1191 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1210 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1213 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 1233 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा खसरा नं. 1295 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1296 रकबा

Mr

Scanned by CamScanner

6 बीघा 8 बिस्वा कुल 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जिसे विवादग्रस्त भूमि कहकर सम्बोधित किया गया
है। वर्णित भूमि मूल रूप से चौथाराम विश्नोई के खातेदारी की थी जिनके फौत होने पर उपरोक्त भूमि में
उनके पांच पुत्रों हरलाल, भबूताराम, छोगाराम, हाडराम उर्फ हवड़ा व भागीरथ पुत्र चौथाराम को विरासत के
अधिकार अर्जित हुए एवं इनक नाम से भूमि दर्ज की गई। भागीरथ का नाबालगी में स्वर्गवास हो जाने के
कारण शांतिदेवी जब बालिग हुई तब विश्नोई समाज की परम्परा के अनुसार गांव सामराउ के धीमाराम
विश्नोई के साथ हो गया एवं उसके साथ हो गया एवं उसके साथ शांतिदेवी ने घर बसाकर आबाद हो गई
तथा वह धीमाराम की ही पत्नी है। भागीरथरामकी मृत्यु लावारिस होने के कारण उसका हिस्सा उसके
द्वितीय श्रेणी के वारिसों अर्थात भाईयों हरलाल, भबूताराम, छोगाराम व हाडराम में निहित हो गया। परन्तु
भागीरथराम का विरासत का नामान्तरकरण बिना जांच के पटवारी ने भरकर स्वीकार करवा दिया एवंउस
नामान्तरकरण में शांति प्रतिवादीनी संख्या एक भागीरथ की पत्नी दर्ज कर दिया गया जबकि गांव बेरू में
ही वादीगण के अन्य खातों में शांतिदेवी का कोई नाम विरासत में दर्ज नहीं किया केवल वादीगण का ही
नाम दर्ज किया गया। शांतिदेवी मृतक भागीरथ की वारिस नहीं है बल्कि व धीमाराम विश्नोई निवासी
सामराउ की पत्नी है। विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि रकबा पर वादीगण का ही आज दिन तक बहैसियत खातेदार
के कब्जा काश्त चलाआ रहा है प्रतिवादीनी संख्या एक का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा आजदिन भी नहीं
है केवल उसका नाम वादीगण के साथ राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से बिना किसी आधार के दर्ज किया
गया है। वादीगण ने राजस्व रेकर्ड में की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने एंव प्रतिवादीनी का नाम
राजस्व रेकर्ड से हटाने हेतु प्रतिवादीनी संख्या एक से कई मर्तबा बात करी परन्तु वह हमेशा टाल मटोल
का जबाब देती रही। अन्त में वादीगण की इस्तदुआ है कि गांव बेरू तहसील जोधपुर में कृषि भूमि खसरा
नं. 1191 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1210 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1213 रकबा 01 बीघा 08
बिस्वा, खसरा नं. 1233 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 1295 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1296 रकबा
6 बीघा 8 बिस्वा कुल 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीनी
संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से विलुप्त किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या
01 का सम्मन पिता पर हुई जिसको तामिल काफी माना गया है। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं पर
तामिल हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन जवाबदावा पेश नहीं किया गया। जवाबदावा बंद किया गया। वादी
की ओर से साक्ष्य में गवाह भबूताराम, मांगीलाल के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी ने गवाह से जिरह नहीं

My

है। प्रतिवादी संख्या 1 को पंजीबद्ध पत्र से सूचना भेजी गयी। फिर भी उनकी ओर से इस वाद का उत्तर नहीं पेश किया गया। अन्तिम बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

The matter in this case is whether a remarried widow has rights over her deceased husband's land. According to plaintiffs, a remarried widow will cease to have any right in husband's property. Section 2 of Hindu Widows' Remarriage Act 1856("1856 Act") states that :

"2. Rights of widow in deceased husband's property cease on her remarriage :

All rights and interests which any widow may have in her deceased husband's property by way of maintenance, or by inheritance to her husband or to his lineal successors, or by virtue of any will or testamentary disposition conferring upon her, without express permission to remarry, only a limited interest in such property, with no power of alienating the same, shall upon her remarriage cease and determine as if she had then died; and the next heir of her deceased husband or other persons entitled to the property on her death, shall thereupon succeed to the same."

At the same time section 4 of Hindu Succession Act, 1956('1956 Act') states that :

"4. Overriding effect of Act.-(1) Save as otherwise expressly provided in this Act,-

(a) Any text, rule or interpretation of Hindu Law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act, shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;

(b) Any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act."

After reading the above two sections, it is evident that section 4 of 1956 Act overrides section 2 of 1856 Act.

In Chando Mehtain & Ors. v. Khublal Mahto & Ors. [AIR 1983 Patna 33], the Patna High Court opined :

"The Hindu Widow's Remarriage Act, 1856 has not been repealed by the Hindu Succession Act, 1956 but Section 4 of the latter Act has an overriding effect and in effect abrogates the operation of the Hindu Widows Remarriage Act, 1856. According to Section 4 of the Hindu Succession Act all existing laws whether in the shape of enactments or otherwise shall cease to apply to Hindus in so far as they are inconsistent with any of the provisions contained in this Act."

Kerala High Court, in Thankam v. Rajan [AIR 1999 Kerala 62], held that remarriage of the wife cannot be a ground for her loosing right to succeed to her deceased husband s property."

The 1956 Act in terms of Section 8 permits the widow of a Hindu male to inherit simultaneously with the son, daughter and other heirs specified in Class I of the Schedule. The

Scanned by CamScanner

ow of a Hindu male takes her share absolutely and not the widow's estate only in terms of ection 14 of 1956 Act.

Section 24 of 1956 Act which talked about "Certain widows remarrying may not inherit as widows" was also deleted by Hindu succession Amendment Act, 2005 removing any special succession process for widows.

Another issue which was brought up by plaintiffs was that the marriage between Shanti Devi and Bhagirathram was a child marriage and was not consummated. Section 3 of THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006 states that:

"3. Child marriages to be voidable at the option of contracting party being a child.—(1) Every child marriage, whether solemnised before or after the commencement of this Act, shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of the marriage"

Thus a child marriage if not annulled before the specified time period holds the same legal sanctity as any other marriage. Thus a widow out of a child marriage holds the same rights as any other widow.

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(मंयक मनीष)आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 30.1.20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मंयक मनीष) आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2020.01.31 16:05:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: